173

राजस्थान सरकार
कार्मिक (क–2) विभाग

कमांक प. 4(1)कार्मिक/क–2/अं.प्र./2006 जयपुर, दिनांक 16-12-2009

परिपत्र

समस्त अति0 मुख्य सचिव/शासन प्रमुख सचिव/शासन सचिव

विषयः– विभागीय पदोन्नति समिति की बैठकों के आयोजन के संबंध में।

विभागीय पदोन्नति समितियों की बैठकों के समयबद्ध आयोजन किये जाने के संबंध में इस विभाग द्वारा समय–समय पर दिशा–निर्देश जारी करते हुए यह अपेक्षा की जाती रही है कि विभागीय पदोन्नति समितियों की बैठकों का आयोजन नियमित रूप से किया जावे। विभागीय पदोन्नति समिति की बैठकें नियमित रूप से आयोजित होने से जहां कार्मिकों को पदोन्नति का लाभ प्राप्त होगा और उनकी कार्यक्षमता भी बढ़ेगी, वहीं विभिन्न विभागों में पद भी रिक्त नहीं रहेंगे।

राज्य सरकार के ध्यान में आया है कि कतिपय विभागों द्वारा विभागीय पदोन्नति समितियों का नियमित आयोजन नहीं किया जा रहा है और विगत कई वर्षो की विभागीय पदोन्नति समितियों का आयोजन किया जाना शेष है। यह स्थिति निश्चित रूप से संतोषजनक नहीं है।

अतः यह निर्देश दिये जाते है कि समस्त प्रशासनिक विभाग एवं विभागाध्यक्ष अब तक की बकाया वर्षो की विभागीय पदोन्नति समिति की बैठकें शीघ्र आयोजित करवाने की व्यवस्था सुनिश्चित करें।

विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक समय पर आयोजित करने के दृष्टिगत समय बद्ध सारणी संलग्न की जा रही है। कृपया उक्त सारणी के अनुसार लम्बित सभी संवर्गो ((राज्य सेवा, मंत्रालयिक सेवा, अधीनस्थ सेवा) की विभागीय पदोन्नति समिति की बैठके एवं अगले वित्तिय वर्ष (2010–2011) की विभागीय पदोन्नति समिति की बैठकें आयोजित करवाना सुनिश्चित करावें तथा प्रगति से इस विभाग को आवश्यक रूप से अवगत करानें का श्रम करें।

भवदीय,
(खेमराज)
शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. प्रमुख सचिव/सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, राजस्थान।
2. उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
3. निजी सचिव, अति0 मुख्य सचिव, राजस्थान।
4. समस्त विभागाध्यक्ष (जिला कलेक्टर एवं संभागीय आयुक्त सहित)।

(नलिनी कठोतिया)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को भी प्रेषित है।

शासन उप सचिव

35/2009

वर्ष 2009–2010 के लिये एक विशेष अभियान के द्वारा सभी लम्बित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठकों का आयोजन किये जाने हेतु निर्धारित समय सारणी:

क0सं.	कार्य	कार्य पूर्ण किये जाने की अनुमानित तिथि
1.	गत 7 वर्षो के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन पूर्ण किया जाना	31 दिसम्बर, 2009 तक
2.	डी.पी.सी. वर्ष की 1 अप्रेल को जारी की जाने वाली अन्तरिम (प्रोविजनल) वरिष्ठता सूची (यदि आवश्यक हो) एवं नियमानुसार आपत्तियों का आमन्त्रण ।	1 जनवरी, 2010 तक
3.	वर्ष वार रिक्तियों की अवधारणा	31 दिसम्बर, 2009 तक
4.	आपत्तियों का निस्तारण किया जाकर डी.पी.सी. वर्ष की 1 अप्रेल पर आधारित अन्तिम वरिष्ठता सूची जारी किया जाना।	31 जनवरी, 2010 तक
5.	राजस्थान लोक सेवा आयोग को पूर्ण प्रस्ताव भेजने की अन्तिम तिथि (आवश्यक होने पर)। (राजस्थान लोक सेवा आयोग को प्रस्ताव अन्तिम तिथि से पूर्व ही भेजने के प्रयास किये जावे)	15 फरवरी, 2010 तक
6.	लंबित डी.पी.सी. की बैठकों का आयोजन किया जाना	15 मार्च, 2010 तक

डी.पी.सी. वर्ष 2010–2011 के लिये प्रस्तावित समय सारणी:

क0सं.	कार्य	कार्य पूर्ण किये जाने की अनुमानित तिथि
1.	गत 7 वर्षो के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन पूर्ण किया जाना	31 जनवरी, 2010 तक
2.	डी.पी.सी. वर्ष की 1 अप्रेल, 2010 को जारी की जाने वाली अन्तरिम (प्रोविजनल) वरिष्ठता सूची एवं नियमानुसार आपत्तियों का आमन्त्रण ।	10 अप्रेल, 2010 तक
3.	वर्ष वार रिक्तियों की अवधारणा	30 अप्रेल, 2010 तक
4.	आपत्तियों का निस्तारण किया जाकर 1 अप्रेल, 2010 तक की अन्तिम वरिष्ठता सूची जारी किया जाना।	15 मई, 2010 तक
5.	राजस्थान लोक सेवा आयोग को पूर्ण प्रस्ताव भेजने की अन्तिम तिथि (आवश्यक होने पर)। (राजस्थान लोक सेवा आयोग को प्रस्ताव अन्तिम तिथि से पूर्व ही भेजने के प्रयास किये जावे)	1 जून, 2010 तक
6.	डी.पी.सी. की बैठकों का आयोजन किया जाना	1 जुलाई, 2010 तक